भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2360
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आवासीय क्षेत्रों में निदान केंद्रों का विनियमन

2360. श्री इमरान मसूदः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित खतरनाक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले निदान केंद्रों को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना संचालित प्रयोगशालाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई क्या है;
(ग) क्या चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए प्राथमिक उपचार सुविधाओं को अनिवार्य बनाने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): *'स्वास्थ्य'* राज्य का विषय होने के कारण, नैदानिक केंद्रों को विनियमित व पंजीकृत करना तथा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के मुद्दे का समाधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

फिर भी, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठानों को छोड़कर) और निजी नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) लागू किया और नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 को अधिसूचित किया, जिसे वर्ष 2018 और वर्ष 2020 में (सीई नियम) संशोधित किया गया। सीई

अधिनियम के अनुसार, नैदानिक प्रतिष्ठानों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए न्यूनतम सेवा मानकों की शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होता है। सीई अधिनियम 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (12 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में और 7 संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) में लागू है।

इसके अतिरिक्त, नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा नियंत्रित होता है। ये नियम उन सभी व्यक्तियों, जिनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं आदि शामिल हैं, जो किसी भी रूप में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को सृजन, संग्रहण, एकत्रण, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान या नियंत्रण करते हैं, उन सभी पर लागू होते हैं। इन प्रावधानों का अनुपालन, सीई नियम के तहत नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और निरंतर संचालन की शर्तों का एक भाग है।

जिन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे अपने अस्पतालों के विनियमन के लिए सीई अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन/प्रवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अधिनियम में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक पंजीकरण प्राधिकरण को इसके प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में दंड लगाने सहित कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्लिनिकल प्रतिष्ठान, जिन्होंने सीई अधिनियम को नहीं अपनाया और लागू नहीं किया है, वे संबंधित राज्य अधिनियमों द्वारा पंजीकृत और विनियमित होते हैं।

*****